न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 01 / 2017

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, भरतपुर।

......प्रार्थी

बनाम

योगेन्द्रसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गहलऊ, तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

निर्णय **दिनांक 19.01.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.05.2017 को अप्रार्थी डीलर की दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर जांच दिवस तक अद्यतन संधारित पाये गए । स्टॉक रजिस्टर के अनुसार गेंहूं का प्रारम्भिक स्टॉक 116.85 क्विण्टल तथा केरोसिन का प्रारम्भिक स्टॉक 93 लीटर तथा चीनी का प्रारम्भिक स्टॉक 883.5 कि0ग्रा0 पाया गया । वक्त जांच पोस मशीन के अनुसार गेंहूं का वितरण 23.65 क्विण्टल, कैरोसिन 93 लीटर एवं चीनी का वितरण शून्य पाया । दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं 122 क्विण्टल, कैरोसिन 1360लीटर तथा चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि गेंहूं 93.20 क्विण्टल, कैरोसिन शून्य एवं चीनी 883.5 कि0ग्रा0 स्टॉक में वांछित थी । इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर गेंहूं 28.80 क्विण्टल तथा कैरोसिन 1360 लीटर अधिक पाया गया । अधिक मात्रा के सम्बन्ध में कोई संतोषप्रद जबाव नहीं देने तथा डीलर द्वारा धोखे से अंगूठा लगवाकर ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन करना तथा वास्तविक राशन सामग्री को उपभोक्ताओं को नहीं देने के कारण सामग्री का अधिक होना पाये जाने पर जब्त सरकार किया गया। अतः जब्त शुदा उक्त गेंहूं व कैरोसिन को राजसात किया जावे।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित हुआ और अपना जबाव पेश किया, जो शामिल मिसिल है।

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

........2

प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु अप्रार्थी व उनके अभिभावक को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आये । अतः इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है । पैरोकार रसद की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि तात्कालिक व्यवस्था पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर वितरण करने की थी । प्रकरण में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर पोस मशीन तथा स्टॉक वितरण रजिस्टर मे वितरण नियमित रूप से दर्शाया गया है परन्तु दुकान के भौतिक सत्यापन पर 28.80 क्विण्टल गेहूँ तथा 1360 लीटर कैरोसिन वांछित स्टॉक से अधिक पाया गया । उक्त वांछित से अधिक पायी गई गेहूँ व केरोसिन की मात्रा एक सामग्री के साथ दूसरी राशन सामग्री का भी धोखे से वितरण दर्शा कर कालाबाजारी हेतु बचाई गई है । यह सामग्री डीलर द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अंगूठा लगा कर भी कई माह तक राशन नहीं ले जाने के कारण अधिक होना बताया गया है । इस प्रकार डीलर के पास 28.80 क्विण्टल गेहूँ व 1360 लीटर कैरोसिन अधिक पाया गया है, जो डीलर की कालाबाजारी व वितरण में अनियमितता को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है। पैरोकार रसद द्वारा उक्त जब्त शुदा सामग्री को राजसात किये जाने का अपनी बहस में निवेदन किया है ।

हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका,जब्ती एवं सुपुर्दगी के अनुसार दुकान के भौतिक सत्यापन पर गेहूँ 122 क्विण्टल, कैरोसिन 1360 लीटर व चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि डीलर के रिकार्ड के अनुसार गेहूँ 93.20 क्विण्टल, कैरोसिन शून्य एवं लेवी चीनी 883.5 कि0ग्रा0 होनी चाहिए थी । चीनी की बावत डीलर द्वारा थोक विक्रेता से चीनी प्राप्त नही होना बताया गया । अधिक मात्रा में पाये गए 28.80 क्विण्टल गेहूँ व 1360 लीटर कैरोसिन के सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई सन्तोष जनक जबाव नही दिया गया । वक्त जांच मौके पर बनाई गई फर्द पर डीलर के हस्ताक्षर होना भी उसकी राशन वितरण में लगाये गए आरोपों की स्वीकारोक्ति को जाहिर करता है । स्पष्ट है कि वक्त जांच डीलर के पास अधिक मात्रा में पाये गये गेहूँ व कैरोसीन कालाबाजारी के उद्देश्य से उसके द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को कम वितरण कर बचाई गई सामग्री प्रतीत होती है। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5.11 एवं 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार डीलर द्वारा 28.80 क्विण्ट[illegible] 1360 लीटर कैरोसिन का दुर्पयोग किया जाना पूर्ण रूपेण प्रम[illegible] प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested

........3

(3)

आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ई0सी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा 28.80 क्विण्टल गेंहूँ व 1360 लीटर कैरोसिन को राजसात (Confiscate) किया जाता है, जिसका नियमानुसार अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:36 IST
Reason: SelfAttested